कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2010 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समन्वय समिति (आई0सी0डी0पी0) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है :-

एजेण्डा बिन्दु-1

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, सहकारिता द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त योजना का परिचय देते हुए अपर निबन्धक (आई0सी0डी0पी0) द्वारा अवगत कराया गया कि आई0सी0डी0पी0 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजना है, इसमे सहकारी एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु भण्डारण क्षमता, अवस्थापना सुविधा तथा व्यवसायिक क्षमता मे वृद्धि हेतु ऋण, अंशधन एवं अनुदान के रुप मे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में यह योजना वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गयी। अब तक 1. वाराणसी (चन्दौली एवं सन्त रविदासनगर सहित) 2. जौनपुर, 3. मथुरा (हाथरस की सादाबाद तहसील सहित) 4. रायबरेली, 5. गोरखपुर, 6. बागपत, 7. मुजफ्फरनगर, 8. रामपुर, 9. बुलन्दशहर, 10. देवरिया, 11. मिर्जापुर, 12. बिजनौर, 13. लखीमपुर, 14. फिरोजाबाद एवं 15. बदायूँ में संचालित होकर पूर्ण हो चुकी है। इनमें 17 जनपद पूर्ण रूप से एवं हाथरस जनपंद की सादाबाद तहसील आच्छादित हो चुकी है। वर्तमान में 8 परियोजनाएं 1. बाराबंकी, 2. फर्रूखाबाद, 3. कन्नौज, 4. सोनभद्र, 5. चित्रकूट, 6. अलीगढ़, 7. प्रतापगढ़ एवं 8. गाजीपुर में संचालित हैं। तीन जनपदों 1. मैनपुरी, 2. मऊ एवं 3. फैजाबाद में परियोजना संचालित करने हेतु निगम द्वारा अनुमोदित अध्ययनकर्ता संस्था आई0सी0सी0एम0आर0टी0 एवं इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार की गयी है, जो आज की बैठक के एजेण्डा बिन्दु-2 में विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद मुरादाबाद, बरेली, जालौन एवं एटा में परियोजना कार्यान्वियन प्रारम्भ कराने हेतु इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो शीध्र ही प्राप्त हो जायेगी। अपर निबन्धक(आई0सी0डी0पी0) ने यह भी बताया कि निगम द्वारा परियोजना हेतु राज्य सरकार को परियोजना लागत का लगभग 70 से 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 10 से 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर के आधार पर अनुदान के मद में लगभग 10 से 15 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकार द्वारा निगम से स्वीकृत परियोजना के अनुसार समितियों को वित्तीय सहायता हेतु ऋण, अंशधन एवं अनुदान के रूप में वर्षवार धनराशि स्वीकृत की जाती है। निगम से योजनान्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति के अंश की वापसी राज्य सरकार के स्तर से प्रथम तीन वर्ष तक केवल ब्याज एवं अगले पांच वर्ष में मूलधन एवं ब्याज सहित समान किश्तों की जाती है। समितियों को दिये गये ऋण की भी वसूली उक्त की भांति प्रथम तीन तक ब्याज एवं अगले पांच वर्ष मे समान किश्तों में मूलधन एवं देय ब्याज के मद में की जाती है, जबकि अंशधन की वापसी प्रथम वर्षगांठ से ही 15 समान किश्तों में की जाती है।

योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए अपर निबन्धक (आई0सी0डी0पी0) ने बताया कि पूर्ण परियोजनाओं में योजनान्तर्गत 266 समितियों में नवीन गोदाम निर्माण कराकर 27250 मै0टन की अतिरिक्त भण्डारण का सृजन कराया गया, 1307 पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मत कराकर उन्हें भण्डारण हेतु उपयोगी बनाया गया तथा 283 समितियों में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर समितियों की भूमि को अतिक्रमित होने से बचाया गया। 1767 समितियो को रू0 2552.42 लाख मार्जिन उपलब्ध करायी गयी, जिससे उनकी व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में संचालित परियोजना में अब तक 140 समितियों में नवीन गोदाम का निर्माण कराकर 12450 मै0टन भण्डारण क्षमता का सृजन कराया जा रहा है, 542 पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मत कराकर उन्हें भण्डारण हेतु उपयोगी बनाया जा रहा है तथा 267 समितियों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराकर उनकी भूमि को अतिक्रमित होने से बचाया जा रहा है। 601 समितियों को रू0 981.72 मार्जिन मनी उपलब्ध कराकर उनकी व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि की गयी है। प्रस्तुत 3 परियोजनाओं में 74 नये गोदाम निर्माण कराकर 8200 मै0टन की भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने, 129 पूर्व निर्मित गोदामो की मरम्मत कराकर उन्हें भण्डारण हेतु उपयोगी बनाये जाने, 208 समितियों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराकर उनकी भूमि को अतिक्रमण होने से बचाने तथा 217 समितियों को रू0 708.60 लाख मार्जिन मनी प्रदान कर उनकी व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी0 द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी एवं सम्बद्ध क्षेत्र की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की समितियों के लिये कई अनुदान आधारित योजनायें चलायी जा रही है, जिनका लाभ प्रदेश की सहकारी समितियाँ ले सकती है।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा योजना की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त करते हुए अधोलिखित निर्देश दिये गये :--

1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता एवं सम्बद्ध विभागो के सहयोग से सहकारी एवं सम्बद्ध क्षेत्र की समितियों को स्वाश्रयी बनाने के लिये उनकी आवश्यकता का आंकलन कर उनके विकास के लिये दीर्घ अवधि की योजना तैयार कराये, जिससे राज्य सरकार एवं निगम की भागेदारी से उक्त योजनाओं का कार्यान्वियन सुनिश्चित कराया जा सके।
2. जो परियोजनायें समाप्त हो चुकी है, निगम द्वारा उनका मूल्यांकन करा लिया जाये, एवं वास्तविक व्यय के अनुसार परियोजनाओं की लागत का पुर्ननिर्धारण कर दिया जाये।
3. समापित परियोजनाओ मे जिन मदो मे उपयोग सन्तोषजनक नही रहा है, उनकी समीक्षा कर आगामी परियोजनाओ मे तदनुसार संशोधन कर लिया जाय।
4. एलाइड सेक्टर में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित विभागों के सहयोग से निगम द्वारा परियोजनायें तैयार करायी जाये, जिससे एलाइड सेक्टर की समितियाँ भी योजना से लाभान्वित हो सके। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से निगम को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।
5. आई0सी0डी0पी0 परियोजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, सहकारी समितियों/संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जाये, अन्य प्रदेशों में अध्ययन दल भेज कर वहां चल रहे सहकारी आन्दोलन का अध्ययन कराया जाये,

जिससे अध्ययन दल के सुझावों से प्रदेश का सहकारी आन्दोलन लाभान्वित हो सके। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के सहयोग से विस्तृत कार्यक्रम तैयार करे, जिससे गैर परियोजना वाले जनपदों में भी प्रशिक्षण/अध्ययन कार्यक्रम संचालित हो सके।

एजेण्डा बिन्दु–2

अपर निबन्धक (आई0सी0डी0पी0) ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति के उपरान्त तीन जनपदों मैनपुरी मऊ एवं फैजाबाद में परियोजना संचालित करने हेतु निगम द्वारा अनुमोदित अध्ययनकर्ता संस्थाओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है जिनका अनुमोदन जनपद स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया गया है। अपर निबन्धक (आई0सी0डी0पी0) द्वारा अधोलिखित विवरण के अनुसार जनपदवार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी :--

1. **मैनपुरी**

जनपद मैनपुरी हेतु आई0सी0सी0एम0आर0टी0 लखनऊ द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जनपद की कृषि एवं अकृषि सहकारी समितियों के वित्त पोषण एवं परियोजना संचालन व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु रू0 144.28 लाख ऋण, रू0 447.98 लाख अंशधन तथा रू0 158.37 लाख अनुदान कुल रू0 750.63 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 19.06.2008 में अनुमोदित की गयी है।

2. **मऊ**

जनपद मऊ हेतु आई0सी0सी0एम0आर0टी0 लखनऊ द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जनपद की कृषि एवं अकृषि सहकारी समितियों के वित्त पोषण एवं परियोजना संचालन व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु रू0 154.845 लाख ऋण, रू0 301.275 लाख अंशधन तथा रू0 167.75 लाख अनुदान कुल रू0 623.87 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 19.12.2008 में अनुमोदित की गयी है।

3. **फैजाबाद**

जनपद फैजाबाद हेतु इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान लखनऊ द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जनपद की कृषि एवं अकृषि सहकारी समितियों के वित्त पोषण एवं परियोजना संचालन व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु रू0 605.978 लाख ऋण, रू0 787.902 लाख अंशधन, रू0 327.40 लाख अनुदान तथा रू0 102.123 लाख भौतिक/आकस्मिक व्यय कुल रू0 1823.403 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 26.11.2009 में अनुमोदित की गयी है।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार जनपद मैनपुरी हेतु रू0 750.63 लाख, जनपद मऊ हेतु रू0 623.87 लाख तथा जनपद फैजाबाद हेतु रू0 1823.403 लाख के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का अनुमोदन करते हुए अपेक्षा की गयी कि उक्त परियोजनाओं का

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के स्तर से वास्तविक अप्रेजल कराया जाये और अप्रेजल के उपरान्त निगम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक बजट प्राविधान स्वीकृत कराकर इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कराया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग–3
संख्या-- 3065(1)/49–3–2010–100(25)/92
लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, हथकरघा, उ0प्र0, कानपुर।
8. निदेशक, मत्स्यपालन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0 लखनऊ।
13. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
14. विशेष सचिव, सहकारिता उ0प्र0शासन लखनऊ।
15. निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
16. प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान लखनऊ।
17. प्रबन्ध–निदेशक/मुख्य निदेशक (आई0सी0डी0पी0) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई–दिल्ली।
18. सहकारिता अनुभाग।
19. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(मोहन लाल)
विशेष सचिव,

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (आई0सी0डी0पी0) की बैठक दिनांक 24.09.2010

उपस्थिति

क्र0	नाम अधिकारी	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	कृषि उत्पादन आयुक्त			
2	अमल कुमार वर्मा	प्रमुख सचिव	सहकारिता।	
3	अशोक दीक्षित	निदेशक	मत्स्य विभाग	
4	AN Misra	Spl Secy	वित्त	
5	कुलदीप [illegible]	अपर निबन्धक	ICDP	
6	एस० के० सक्सेना	अपर निबन्धक (विकास)	सह०समिति	
7	Rakesh Sharma	Professor (I.C.C M.R.T.)		Rakesh S
8	आर० एन० तिवारी	प्राचार्य	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	मुकेश कुमार,	क्षेत्रीय निदेशक	[illegible]	
11	डा० आनन्देश्वरी अवस्थी	संयुक्त निदेशक	नियोजन	
12	आदेश कुमार विश्नोई	अपर कृषि निदेशक (परियोजनाएं)		24/9/10
13	Dr. SEEMA	Goshala Nibandhak	Animal Husbandry	
14	DR [illegible] YADAV	[illegible]	〃	
15	प्रभावती सिंह	अपर निदेशक उद्यान	[illegible] उ० प्र०	24.9.2010
16	ए. के. सिंह	अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण)	कृषि	24/9/10
17	जितेन्द्र सिंह	संयुक्त सचिव सहकारिता	सहकारिता	
18	शिव शंकर सिंह	SO APC		
19	Maj K. Srivastava	OSD to APC		
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21				
22				